राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक : 19740 दिनांक 25/1/18

परिपत्र

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 16-110/2003/डीडी-III दिनांक 26 फरवरी, 2013 के माध्यम से दिव्यांगजनों के द्वारा दी जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में गाईड लाईन जारी की गई थी। इसी प्रकार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिपत्र सीबीएससी/सीओओआरडी/112233/2016 दिनांक 24 जनवरी, 2017 के द्वारा कक्षा 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं में दिव्यांगजनों को विशेष रियायतें प्रदान की गई है। यह दिशा-निर्देश वेबसाईट **www.cbsc.nic.in** एवं **www.disabilityaffairs.gov.in** पर उपलब्ध है।

भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना के संबंध में न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन, राजस्थान द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1( ) आईडीए/आयु.नि.जन/2017/1231 दिनांक 17.08.2017 के द्वारा स्वसंज्ञान आदेश जारी कर राज्य में आयोजित की जाने वाली सभी प्रकार की शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें कौशल प्रशिक्षण लिखित/अलिखित/ऑनलाईन सम्मिलित है, में गाईड लाईन अनुसार व्यवस्था कराने बाबत निर्देशित किया गया था। परन्तु यह ध्यान में आया है कि राजस्थान राज्य में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में विशेष योग्यजनों को उक्त गाईड लाईन के अनुसार रियायत नहीं दिये जाने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जैसाकि सर्वविदित है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में 21 प्रकार की निःशक्तताओं का उल्लेख है तथा सभी बैंचमार्क निःशक्तताधारी विशेष योग्यजनों को विभिन्न परीक्षाओं में गाईड लाईन अनुसार रियायत दी जानी है। यथा आटिस्टिक श्रेणी के परीक्षार्थियों को श्रुतिलेखक (Scribe)/प्रोमटर चुनने की स्वतंत्रता दी जाये। Scribe/प्रोमटर के चयन की विस्तृत प्रकिया उक्त दोनों गाइड लाईन में दी गयी है। अतः दिव्यांगजनों के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय आदेश तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र की राज्य में अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये। उक्तानुसार पालना सुनिश्चित नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायें।

(जे.सी. महान्ति) 25/1/2018

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक : 1975-77 दिनांक 25/1/18

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त (विशेष योग्यजन), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड, वसुन्धरा कॉलोनी, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन।

निदेशक 25/1/18
विशेष योग्यजन